न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मयंक मनीष, I.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **01/21 (वाद)**

(GCMS No. : 2021/1)

1. श्रीमती लीलाबाई पुत्री स्व. मांगु पत्नी श्रीलाल भील निवासी हाल डांग डबोक तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री कल्याण सिंह राव, अधिवक्ता वादीयां।
2. राजपेरोकार मावली, अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 26.02.2021

1. वादीयां द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का गुडली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 986, 987, 988, 989, 990 किता 5 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा एवं परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 961, 962, 963 किता 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुझ वादीयां (काली) व पप्पु, दिनेश, जगदीश, फेफा गुडी पिता मांगु के नाम 3/28 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न है।
2. यहकि वाद पत्र के परिशिष्ट (अ, ब) में वर्णित आराजीयात में मुझ वादीयां के नाम अंकित कृषि भूमि मेरी पैतृक कृषि भूमि है जो मुझ वादीयां को मेरे पिता मांगु जी से विरासत में प्राप्त हुई है और मैं वादीयां अपने परिवार के सदस्यों के साथ अपनी पैतृक सम्पत्ति पर काबिज हो काश्त करती आ रही हूँ तथा मेरे भाई–बहिन क्रमशः पप्पु, दिनेश, जगदीश एवं फेफा, गुड़ी भी विरासत में पिता से प्राप्त हूए अपने हक हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।
3. यहकि वाद पत्र के परिशिष्ट (अ, ब) में वर्णित आराजीयात में मुझ वादीयां का नाम काली पिता मांगु भील अंकित हैं जबकि मेरा वास्तविक सही नाम लीलाबाई

हैं। लेकिन मुझ वादीयां को परिवार के लोग प्रेमवश घरेलु बोलचाल में काली नाम से ही पुकारते थे, इसलिये मुझ वादीयां के पिता के निधनोपरान्त जब उक्त भूमि मुझ वादीयां एवं अन्य वारिसान के नाम पर विरासत से दर्ज की गई उस समय मुझ वादीयां के परिवार के सदस्यों ने मेरा नाम काली अंकित करवा दिया जिससे राजस्व रेकर्ड में मेरा नाम काली अंकित हो गया जिससे राजस्व रेकर्ड में अनवरत काली नाम ही अंकित चला आ रहा हैं। जबकि मेरा वास्तविक सही नाम लीलाबाई हैं तथा मुझ वादीयां के नाम से भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, पहचान पत्र, राजस्थान सरकार द्वारा जारी भामाशाह कार्ड एवं जन आधार कार्ड, राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार राशन कार्ड, एस.बी.बी.जे शाखा डबोक द्वारा जारी बैंक पास बुक इत्यादि में भी स्पष्ट रूप से मेरा नाम लीलाबाई ही अंकित है।

4. यहकि वाद पत्र के परिशिष्ट (अ, ब) में वर्णित आराजीयात में मुझ वादीयां का नाम गलत इन्द्राज हो जाने से मुझ वादीयां को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा हैं और गलत नाम इन्द्राज होने से मैं वादीयां अपनी उक्त कृषि भूमि का समुचित रूप से विकास करने हेतु वित्तीय संस्थाओं, बैंक इत्यादि से ऋण भी प्राप्त नही कर पा रही हूँ और इससे मुझ वादीयां को भारी मानसिक पीड़ा भी भोगनी पड़ रही है और काफी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा हैं। इसलिये मैं वादीयां वाद पत्र की कलम संख्या एक के परिशिष्ट (अ, ब) में वर्णित कृषि भूमि में अपना नाम काली पिता मांगु के बजाय लीलाबाई पिता मांगु घोषित करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने की अधिकारीणी हूँ जिसके लिये यह वाद पत्र माननीय न्यायालय आपमें प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

5. यहकि मुझ वादीयां का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला हैं। क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि में घरेलु बोलचाल वाला मेरा नाम दर्ज हो गया हैं जबकि मेरा वास्तविक नाम लीलाबाई ही हैं और इसी नाम से मुझ वादीयां के सभी राजकीय एवं अराजकीय दस्तावेज बने हुए हैं और मैं वादीयां स्व0 मांगु पिता कमला की जायन्दा पुत्री हूँ। इसलिये उपरोक्त काली पिता मांगु के बजाय लीलाबाई पिता मांगु नाम अंकन किये जाने की घोषणा करने से किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति एवं असुविधा नही होगी। बल्कि उपरोक्त अनुसार घोषणा नही होने से मुझ वादीयां को अतुलनीय एवं अपरिमित हानी होगी जिसका मूल्याकंन मुद्रा आंकना असम्भव होगा। सुविधा सन्तुलन एवं अशोधनीय क्षति के बिन्दू भी मुझ वादीयां के पक्ष में है।

6. यहकि मुझ वादीयां को वाद कारण दिनांक 24–12–2020 को मेरी खातेदारी की जमीन की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति लेने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
7. अतः प्रार्थना हैं कि मुझ वादीयां के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि :–(अ) कि वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादीयां का नाम काली पिता मांगु के बजाय ''लीलाबाई पिता मांगु'' का अंकन किये जाने की घोषणा फरमाई जाकर इसी अनुसार मुझ वादीयां का नाम राजस्व रेकर्ड में अंकन कराये जाने की डिक्री फरमाई जावें। (ब) कि अन्य दाद जिसे वादीयां कानूनन प्राप्त करने की अधिकारी पायी जावें वह भी वादीयां को प्रदान कराई जावें।
8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर रिपोर्ट को ही जवाब माना जाकर वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की।
9. वादीयां द्वारा वाद के समर्थन में साक्ष्य वादीयां शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्रीमती लीलाबाई, पीडब्ल्यू 2 श्री पप्पु, पीडब्ल्यू 3 श्री दिनेश का पेश किया। वादी द्वारा दस्तावेज नकल जमाबन्दी प्रदर्श 1 व 2, आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श ए3, पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श ए4, भामाशाह की फोटो प्रति प्रदर्श ए5, जन आधार कार्ड की फोटो प्रति प्रदर्श ए6, ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 पेश कियें।
10. प्रकरण में अधिवक्ता वादीयां व राजपेरोकार की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीयां द्वारा अपनी बहस में वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपनी बहस में रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं वादीयां का वाद स्वीकार किया जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की।
11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीयां व राजपेरोकार की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली एवं दस्तावेज के अध्ययन से प्रार्थीयां राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपना नाम काली के बजाय लीलाबाई अंकित कराना चाह रही हैं। प्रार्थीयां द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी, आधार कार्ड की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, भामाशाह की फोटो प्रति, जन आधार कार्ड की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत गुडली द्वारा जारी प्रमाण पत्र आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थीयां का नाम

लीलाबाई दर्ज हैं। प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में विरासत के नामान्तरकरण से काली दर्ज हो गया है जबकि वास्तविक नाम लीलाबाई हैं। तहसीलदार मावली द्वारा भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थीयां का नाम लीलाबाई व कालीबाई दोनों होकर दोनों नाम की एक ही महिला होने का अंकन किया हैं। प्रार्थीयां द्वारा अपने समर्थन में स्वयं का साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 एवं अपने भाई पीडब्ल्यू 2 पप्पु व पीडब्ल्यू 3 दिनेश के शपथ पत्र पेश किये, जिसमें भी शपथकर्ता ने प्रार्थीयां का नाम काली व लीलाबाई होना बताया हैं। ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 में भी ग्राम पंचायत में कालीबाई व लीलाबाई दोनों वादीयां के नाम होकर एक ही महिला होना बताया हैं। चूंकि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीयां का नाम काली दर्ज हो गया हैं, जबकि समस्त दस्तावेजो में प्रार्थीयां का नाम लीलाबाई होने से प्रार्थीयां को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं। प्रार्थीयां द्वारा अपने दस्तावेजों के माध्यम से प्रार्थीयां का नाम लीलाबाई एवं कालीबाई होने के तथ्य को साबित कराने में सफल रही हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित हो जाने से दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः वादीयां का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का गुडली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 986, 987, 988, 989, 990 किता 5 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा एवं परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 961, 962, 963 किता 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में खातेदार काली पिता मांगु भील के बजाय काली उर्फ लीलाबाई पिता मांगु भील संशोधन किया जावे, शेष खाता बदस्तुर रहें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास मयंक मनीष, आई.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती लीलाबाई पुत्री स्व. मांगु पत्नी श्रीलाल भील निवासी हाल डांग डबोक तह. मावली।

.....वादीयां

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
2. पटवारी, पटवार हल्का गुडली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 01/21 (वाद) (GCMS–2021/1)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मयंक मनीष I.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीयां का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा रेबारियो की ढाणी पटवार हल्का गुडली के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 986, 987, 988, 989, 990 किता 5 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा एवं परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 961, 962, 963 किता 3 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में खातेदार काली पिता मांगु भील के बजाय काली उर्फ लीलाबाई पिता मांगु भील संशोधन किया जावे, शेष खाता बदस्तुर रहें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.02.2021 को जारी की गई।

(मयंक मनीष I.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली